



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224848  
CG-DL-E-01022021-224848

xxxGIDExxx

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434]  
No. 434]

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 31, 2021/ माघ 11, 1942  
NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 31, 2021/MAGHA 11, 1942

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2021

का.आ. 471(अ).- केन्द्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 (2020 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना संख्या 85/2020 तारीख 27 अक्टूबर, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 3847 (अ) तारीख 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

खंड (क) में “31 जनवरी, 2021” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “28 फरवरी, 2021” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 04/2021/ फा. सं. आईटी(ए)/01/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर पॉलिसी और विधान प्रभाग

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 3847 (अ) तारीख 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 27 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित की गई थी और बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 4804 (अ) तारीख

31 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित कर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 31 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित की गई थी।